प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे
सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण निग0 1576-तीन/14
विरुद्ध आदेश दिनांक 15-5-14 पारित द्वारा कलेक्टर जिला रीवा
प्रकरण क्रमांक 114/अ-5/2009-20010.

सुरेश चन्द्र पाण्डे तनय श्री कमला कान्त पाण्डेय
निवासी ग्राम कोल्हाई तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0 हाल मुकाम वार्ड न0 17
नरेन्द्र नगर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 -- आवेदक

विरुद्ध

क्र0

श्री रानी देवी पत्नी छोटेलाल साकेत
निवासी ग्राम कोल्हाई तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 अन्य-8 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1576 / तीन / 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12.9.14	यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 114 / अ–5 / 09–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–5–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदिका कमांक–1 ने तहसीलदार वृत्त गढ़ तहसील सिरमौर को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कोलहाई स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के नक्शा तरमीम का आवेदन दिया था, जिस पर से प्रकरण कमांक 1 अ–5 / 09–10 पंजीबद्व कर राजस्व निरीक्षक को वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये और राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ ने नक्शा तरमीम प्रस्ताव दिनांक 28–4–10 प्रस्तुत किया । नायव तहसीलदार सिरमौर ने राजस्व निरीक्षक के प्रस्तावानुसार आदेश दिनांक 3–7–10 से नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता व्दारा कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 13–5–14 से इस आधार पर निरस्त हुई कि जिस आदेश के विरूद्व अपील का प्रावधान है निगरानी श्रवण नहीं की जा सकती। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है। 4/ विचार योग्य बिन्दु है कि नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ – 5 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 3–7–10 से नक्शा	

तरमीम किया है और यह आदेश अपील योग्य है अथवा निगरानी योग्य है?

1. धारा–68 सर्वेक्षण सॅख्यॉकों तथा ग्रामों की विरचना ' ''टिप्पणी आ '' कलेक्टर को बंदोवस्त अधिकारी की शक्ति प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी के अधिकार प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान कर दी गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें।
2. धारा 24 – इ (9) – म.प्र.राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क. 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून 1968 व्दारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (अब कमशः धारा 68, 69, 70) के अधीन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के लिये धारा 88 (अब 90) के अधीन कलेक्टर को प्राप्त शक्तियॉ समस्त तहसीलदारों को प्रदान की गई हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश दिनांक 3–7–10 पारित करते हुये नक्शा तरमीम किया है जिसके कारण नायव तहसीलदार का आदेश अपील योग्य है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण कलेक्टर, रीवा ने आदेश दिनांक 13–5–14 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य